रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052024-254064
CG-DL-E-07052024-254064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1830] नई दिल्ली, सोमवार , मई 6, 2024/वैशाख 16, 1946
No. 1830] NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2024/VAISAKHA 16, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2024

का.आ. 1923(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3780 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 23 अगस्त, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। अभयारण्य को 19 जुलाई, 1982 को अधिसूचना सं. एफओआर.32/आईएनडी-1/82/17706-45 तारीख 19 जुलाई,1982 द्वारा अधिसूचित किया गया था;

और जहाँ कि, सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य क्षेत्र में उपलब्ध स्वदेशी आर्किडों के लिए जाना जाता है। यह अभयारण्य यथास्थान आर्किडों की सुरक्षा और संरक्षण जिसके अंतर्गत विकास भी है, के उद्देशय के साथ अधिसूचित किया गया है के

लिए है। ऑर्किड की सुरक्षा और संरक्षण के अलावा, यह अभयारण्य में पाए जाने वाली वन्यजीव और समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में मदद करता है;

और, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य 217 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूएल/डी/27/89/3101-3174, तारीख 18 अक्टूबर, 1989 को यथा अधिसूचित के अधीन अरुणाचल प्रदेश राज्य में पश्चिम कामेंग जिले के सिंगचुंग प्रशासनिक सर्किल में स्थित है;

और, पाक्के वन्यजीव अभयारण्य और बाघ आरक्षित 861.95 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और अरुणाचल प्रदेश के पाक्के केसांग जिले में स्थित है, जो कि उत्तर में टेंगा आरक्षित वन, पश्चिम में डोइमार आरक्षित वन, दक्षिण में नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और बाघ आरक्षित (असम) और पूर्व में कृषि भूमि के साथ-साथ पापम आरक्षित वन से घिरा हुआ है।

और, उत्तर-पूर्व भारत के जंगलों को उनकी पुष्प और जीव प्रजातियों की समृद्धि के कारण 'वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट' और 'स्थानिक पक्षी क्षेत्र' के रूप में पहचाना जाता है। इस परिदृश्य में उच्च प्रजाति विविधता और स्थानिकता है, चूंकि यह भारतीय और मलायन पारिस्थितिक-क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र बनाता है।

और, उत्तर-पूर्व भारतीय बाघ परिदृश्य के दो महत्वपूर्ण भाग, ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान और उत्तर-पूर्व भारतीय पहाड़ियाँ हैं और पाक्के और नामेरी बाघ आरक्षित असम के मैदानी इलाकों और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी वनों के बीच संक्रमण क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित हैं, जो साथ में उत्तर-पूर्व में अर्ध-सदाबहार और सदाबहार वनों के सबसे बड़े ब्लॉकों में से एक ब्लॉक बनाते हैं।

और, पाक्के बाघ आरक्षित, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य और सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश राज्य के पाक्के वन्यजीव अभयारण्य और बाघ आरक्षित, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य और सेस्सा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य (0) किलोमीटर से 37.60 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को, पाक्के वन्यजीव अभयारण्य और बाघ आरक्षित, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य और सेस्सा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, पर्यावरण का गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने और समाप्त करने के प्रयोजन के लिए जिसके विवरण पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट है और निम्नलिखित उपाय करें, यथा:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-**(1) पाक्के बाघ आरक्षित, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य और सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य की सीमा के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य किलोमीटर से 37.60 किलोमीटर तक की सीमा के साथ 766.20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को आच्छादित करता है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार विभिन्न दिशाओं में निम्न रुप से है:

दिशाएं	विस्तार
उत्तर	1.0 किलोमीटर
उत्तर-पूर्व	1.0 से 2.5 किलोमीटर
पूर्व	2.0 से 37.60 किलोमीटर

दक्षिण-पूर्व	1.0 किलोमीटर
दक्षिण	0 किलोमीटर
दक्षिण-पश्चिम	1 किलोमीटर
पश्चिम	1 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	1 किलोमीटर

टिप्पण: पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार असम के नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और बाघ आरक्षित की सीमा के कारण है, जो पाक्के वन्यजीव अभयारण्य और आरक्षित रिज़र्व के दक्षिणी भाग में स्थित है। अभयारण्य की सीमा चोटियों और घाटियों, जलधाराओं और नालों जैसी प्रमुख और ध्यान देने योग्य विशेषताओं द्वारा आधार चिन्हित हैं।

(2) संरक्षित क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण अधिसूचना से संलग्न उपाबंध –I की सारणी क से घ में विनिर्दिष्ट है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र उपाबंध –IIक, IIख और IIग के रूप में संलग्न हैं।

(4) पाक्के वन्यजीव अभयारण्य और बाघ आरक्षित, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य और सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा सहित मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध - III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध -IV के रूप में संलग्न है

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और आंचलिक महायोजना तैयार और अधिसूचित करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा तत्समय प्रवृत विधियों के अनुरूप और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) अरूणाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(xii) लोक निर्माण विभाग।

IndiaCode

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, तब तक आंचलिक महायोजना, विद्यमान अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायो की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलूओं की व्यवस्था की जाएगी, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन किया जाएगा। योजना की विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्रों द्वारा सहायता की जाएगी।

(7) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन करेगी और पैरा 4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित उपबंधों क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा और इसमें स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) तैयार किया गया और अधिसूचित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए।

(10) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार होने तक, सभी नए निर्माण और अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों को मानीटरी समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–**(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजन हेतु चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या प्रमुख आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन किये जाने की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर,इस खंड में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के यथा लागू अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) अवसंरचनाओं और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में समर्थक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं जिसके अंतर्गत गृह वास भी है; और

(v) पैराग्राफ-4 में संवर्धित क्रियाकलाप दिए गए हैं:

परंतु यह और कि क्षेत्रीय शहरी योजना अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

(2007 का 2) भी है, की अनुपालन किए बिना, वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास के क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के प्रयोग की अनुज्ञा नहीं होगी।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में प्रतीत होती किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधार किया जाएगा और उक्त त्रुटि के सुधारे जाने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के क्रियाकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय.-**सभी प्राकृतिक झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों को अभिज्ञात किया जाएगा और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और कायाकल्प की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास, विकास क्रियाकलापों जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, को प्रतिषिद्ध किया जा सके।

(3) **पर्यटन या6 पारिस्थितिकी पर्यटन.–**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना, राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना का एक घटक होगा।

(घ) पर्यटन महायोजना को पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार किया जायेगा।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा;

(ii) आंचलिक महायोजना तैयार होने और अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–**पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों, जैसे कि जीन पूल आरक्षित क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में उनके परिरक्षण और संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति, क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के प्रसीमाओं की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में उनके संरक्षण के लिए एक विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और समय समय पर यथासंशोधित के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण की अनुपालना की जाएगी।

(7) **वायु प्रदूषण.-** वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और समय समय पर यथासंशोधित के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण की अनुपालना की जाएगी।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिःस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और समय समय पर यथासंशोधित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्ध निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंध, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और समय समय पर यथासंशोधित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर अभिज्ञात किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अनुज्ञात अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंध की अनुमति दी जा सकेगी।

(10) **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंध निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अनुज्ञात अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए, विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंध की अनुमति दी जा सकेगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंध.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंध, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और समय समय पर यथासंशोधित के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंध.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 और समय समय पर यथासंशोधित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंध, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित, ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यान संबंधी-यातायात.-** यान संबंधी-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक सुसंगत और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यान संबंधी-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यान जनित प्रदूषण.-** यान जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, लागू विधियों की अनुपालना के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन उदाहरणार्थ के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-**

(क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी, जिनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों तथा पर्यावरण, वन और वन्यजीव से संबंधित भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संख्यांक 1533 (अ), तारीक 14 सितंबर, 2006 में भारत सरकार की अन्य अधिसूचनाएं, विधियों और अधिनियम और तत्समय प्रकृत विधियों द्वारा ऐसी रीति में और नीचे दी गई तालिका में समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार शासित होंगे, अर्थात:-

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टिप्पणी**
(1)	**(2)**	**(3)**
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और भ्रजन इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और भ्रजन इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में आदेश का अनुपालन में होगा और 2003 के आईए सं. 1000 का निर्णय तारीख 03-06-2022 और उसके बाद आईए सं. 131377 का निर्णय तारीख 26-04-2023 और 28-04-2023 को हुआ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।

IndiaCode

3.	बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी घातक पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि उड़ाना।	प्रतिषिद्ध।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की अनुमति नहीं होगी और न ही वर्तमान आरा मिलों का विस्तार किया जा सकेगा।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु व अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुमति होगी ।
10.	निर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए सन्निर्माण करने की अनुज्ञात भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी: परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञात से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी

		उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञात के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी अवसंरचनाओं की व्यवस्था।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी अवसंरचना।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार शमनात्मक उपाय के साथ करना।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार शमनात्मक उपायों के साथ किये जा सकेंगे।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
18.	रात्रि में यान यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
21.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
22.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि, कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	विनियमित और समचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
23.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
24.	विदेशी प्रजातियों की शुरुआत करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।

IndiaCode

25.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
26.	पॉलीथिन बैग का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
27.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
28.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से संवर्द्धन किया जाएगा ।
29.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से संवर्द्धन किया जाएगा ।
30.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से संवर्द्धन किया जाएगा ।
31.	कुटीर उद्योग सहित ग्रामीण कारीगरी आदि ।	सक्रिय रूप से संवर्द्धन किया जाएगा ।
32.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को संवर्द्धन किया जाएगा।
33.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से संवर्द्धन किया जाएगा ।
34.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से संवर्द्धन किया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से संवर्द्धन किया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से संवर्द्धन किया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से संवर्द्धन किया जाएगा ।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से संवर्द्धन किया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति.-

इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक समिति होगी, जो मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात:

क्र.सं.	**निगरानी समिति के घटक**	**पद**
(i)	उपायुक्त, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(iii)	शहरी विकास विभाग, पश्चिम कामेंग, पाक्के-केसांग जिला, अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(iv)	लोक निर्माण विभाग, पश्चिम कामेंग जिला और पाक्के केसांग जिला, अरुणाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(v)	ग्रामीण निर्माण विभाग, पश्चिम कामेंग, पाक्के-केसांग जिला, अरुणाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;

IndiaCode

(vi)	गैर-सरकारी संगठन (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले) का एक प्रतिनिधि जिसे प्रत्येक मामले में तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
(vii)	पारिस्थितिकी, जैव विविधता और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ प्रत्येक मामले में तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(viii)	संभागीय वनाधिकारी, शेरगांव (ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य)	सदस्य, पदेन;
(ix)	संभागीय वनाधिकारी, खेलौंग (सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य)	सदस्य, पदेन;
(x)	संभागीय वनाधिकारी, पाक्के वन प्रभाग, पाक्के वन्यजीव अभयारण्य और बाघ रिज़र्व	सदस्य-सचिव, पदेन।

6. मानीटरी समिति के निबंधन और कार्य:-

(1) मानीटरी समिति, वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसुचना में आते हैं और पर्यावरण, वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं और यथास्थिति, और केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तनि मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी निर्दिष्ट करेगी।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसुचना में न आने वाले क्रियाकलापों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विनिर्दिष्ट की स्थितियों के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संगमों के प्रतिनिधियों या संबंधित पणधारियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, मामले दर मामले के आधार पर और आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकती है।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक, राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक को उपाबंध- V में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे ।

7. **अतिरिक्त उपाय:-** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

[फा. सं. 25/08/2021-ईएसजेड]

डॉ एस केरकेट्टा, वैज्ञानिक-जी

उपाबंध –I

सारणी क: पाक्के वन्यजीव अभयारण्य में पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की सीमा का विवरण

दिशा	विवरण
(1)	(2)
उत्तर	सीचम के निकट भोरली नदी बिंदु से, जब यह अपने पश्चिमी किनारे को दक्षिण की ओर ले जाती है। इसके बाद भोरली के दाएं तट के साथ यह पस्सूनी नदी के साथ होने वही अपने संगम से पूर्व की ओर जाती है, इसके बाद यह मीरी इपथा नदी के साथ अपने संगम से लगभग चार मील पूर्व की ओर यह किसी एक सहायक नदी के साथ पूर्व की ओर संगम में पस्सूनी नदी के दाएं तट में पस्सूनी नदी के दाएं तट के साथ जाती है।
पूर्व	इसके बाद यह सहायक नदियां दाएं तट के साथ दक्षिण की ओर जाकर और पखुई नदी के सहायक नदियों में से एक के स्त्रोत के रिज़ को पार कर के जाती है (जो कि सहायक नदियां पखुनी नदी के साथ जंक्शन से लगभग 4/1 मील सेमा से एक्सेलनग्गानिया तक फुटपाथ को पार करके जाती है)। इसके बाद पखुई नदी सहायक नदी के बाएं तट के साथ जाती है। इसके बाद यह पखुई नदी के दाएं तट के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां यह आंतरिक रेखा को पार करती हुई जाती है।
दक्षिण	इसके बाद ये आंतरिक रेखा के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां यह भोराली नदी को पार करती हुई जाती है।
पश्चिम	इसके बाद भोराली के बाएं तट के साथ-साथ उत्तर की ओर आंरभिक बिंदु जाती है।

सारणी ख: ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

दिशाएं	विवरण
(1)	(2)
उत्तर और पूर्व	यह सीमा नगनपे (जी आर 707355) के 2966 उन्नतांश बिंदु से सीमा जीआर 723351, 727364, 732368, 736372, 738375, 734383 से होते हुए पहाड़ी रास्ते के साथ-साथ कृत्रिम रेखा बनाती जाती है, जहां यह दोईमारा शेरगांव फुटपाथ तक मिलती है। इसके बाद फुटपाथ के साथ-साथ उत्तर पश्चिम में पिरला, शेरगांव फुटपाथ पूर्व की ओर जंक्शन तक जाती है। यह पिरला जीआर 815408 (उन्नतांश 2829) में चाकू थुंगरे फुटपाथ से मिलती है। इसके बाद यह सीमा रेखा लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तक लगभग 110° कृत्रिम रेखा अर्थात ब्रा (एफआर 830405) में रीज़ उन्नतांश 3213 तक जाती है। इसके बाद जीआर 836410, 840413 से होते हुए रिज़ के साथ अन्य कृत्रिम रेखा बनाती जाती है जहां यह जीआर 849419 में ईगल-नेस्ट-थुंगरे फुटपाथ में मिलती है। इसके बाद दक्षिण-पूर्व की ओर फुटपाथ के साथ-साथ जाती है यह जीआर 825385 में चाकू में मिलती है। इसके बाद सीमा लगभग 750 मीटर की दूरी तक लगभग 135° कृत्रिम रेखा से होते हुए यह तीपी नाला से मिलती है। इसके बाद जीआर 920364 में उत्तर पूर्व से यह सहायक नदियों के साथ संगम तक तीपी नाला के साथ संगम तक तीपी नाला के निचली धाराप्रवाह के साथ जाती है। इसके बाद लगभग 4.7 किलोमीटर कू दूरी तक लगभग 45° अन्य कृत्रिम सीधी रेखा बनाती जाती है, जहां यह जीआर 940383 में बोमडीला-भालूकपोंग सड़क में मिलती है। इसके बाद जीआर 998365 में पींजोली तक पूर्व की ओर सड़क के साथ-साथ जाती है।
दक्षिण	इसके बाद इसकी सीमा चाकू सड़क के तलहटी और चोटी 1325 (जीआर 781291) को पार करके कृत्रिम रेखा चोटी 1192 (जीआर 982341) 1260 (जीआर 950321),

IndiaCode

	1384 (जीआर 864290), 1275(जीआर 815290) को छूती है। इसके बाद यह सीमा रेखा लगभग 3.6 किलोमीटर की दूरी तक लगभग 270° कृत्रिम सीधी रेखा बनाती जाती है। जहां यह उत्तर (जीआर 745291) से किसी नाम रहित धारा में मिलती है।
पश्चिम	इसके बाद यह जीआर 705349 में स्रोत तक किसी नाम रहित धारा के ऊपरी धारा के साथ-साथ जाती है। इसके बाद यह सीमा रेखा 0.7 किलोमीटर की दूरी तक लगभग 30° कृत्रिम सीधी रेखा की ओर आरंभिक बिंदु जाती है।

सारणी ग : सेस्सा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

दिशाएं	विवरण
(1)	(2)
उत्तर	चेकु तेंगा सड़क उन्नतांश 2781 में ईगलनेस्ट नामक बिन्दु से आरंभ होकर सड़क के सहारे-सहारे चेकु तेंगा सड़क (जी आर 891443 में) में बिंदु 68 किलोमीटर तक उत्तर की ओर जाती है जहां सहायक नदी जी आर 900459 में दोगोंगखो के साथ संगम पर मिलती है। इसके बाद दोगोंगखो नाला के बहाव के साथ-साथ यह जी आर 919445 में स्रोत तक जाती है जैसे अन्य अज्ञात धारा प्रवाह के साथ उसका संगम होता है। इसके बाद यह सीमा जी आर 920445 में दजी नाला की सहायक नदी के स्त्रोत तक 200 मीटर की दूरी तक लगभग 90' कृत्रिम सीधी रेखा के रुप में जाती है। इसके बाद जी आर 966453 में बोम्डीलाभालुपोंग सड़क पर पुल तक सहायक नदी और दीजी नाला के नीचे की ओर जाती है। इसके बाद 'ओ' बिंदु तक पूर्व की ओर बोम्डीलाभालुपोंग सड़क के साथ-साथ जाती है जो कि सेप्पा सड़क का जंक्शन बिंदु है।
पूर्व	इसके बाद बोम्डीला, भालुपोंग सड़क के साथ-साथ दक्षिण पश्चिम की ओर तब तक जाती है जब तक कि यह जी आर 956425 में सेस्सा नाला की सहायक नदियों को पार नहीं कर जाती है। इसके बाद यह सहायक नदियों के निचली धारा प्रवाह के साथ-साथ यह सेस्सा नाला के साथ संगम तक जाती है। इसके बाद यह सीमा लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक लगभग 180° के कृत्रिम सीधी रेखा के रुप में जाती है और यह जी आर 979390 में भालुपोंग बोम्डीला सड़क को पार कर जाती है।
दक्षिण	इसके बाद यह सड़क के साथ-साथ पश्चिम की ओर जी आर 740383 तक जाती है। इसके बाद सीमा लगभग 4.7 किलोमीटर की दूरी तक लगभग 225° कृत्रिम सीधी रेखाके रुप में जाती है जो कि टीपी नाला की सहायक नदी के संगम तक है। यह जी आर 829382 का स्रोत है। इसके बाद 0.75 किलोमीटर की दूरी तक लगभग 315° की कृत्रिम सीधी रेखा बनाती है जो कि जी आर 825385 में चाकु तक है।
पश्चिम	इसके बाद सीमा उत्तर पूर्व की ओर चाकु तेंगा सड़क के साथ जाती है जो कि आरंभिक बिंदु तक है।

सारणी घ: पाक्के वन्यजीव अभयारण्य और बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य एवं ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: पाक्के वन्यजीव अभयारण्य एवं बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पाक्के बाघ रिज़र्व/वन्यजीव अभयारण्य तेंगा रिज़र्व वन के बफर जोन की उत्तर-पश्चिम सीमा पर भू-निर्देशांक 27°10'1.61"उ 92°35'26.62"पू में बिंदु से आरंभ होती है। इसके बाद भू-निर्देशांक

27°15'43.29"उ 92°53'46.85"पू तक, भू-निर्देशांक 27°11'24.34"उ 92°37'2.03"पू, 27°11'39.25"उ 92°38'29.44"पू, 27°11'37.45"उ 92°38'46.53"पू, 27°11'53.67"उ 92°40'15.74"पू, 27°13'54.45"उ 92°47'21.69"पू से होते हुए पाक्के बाघ रिज़र्व/वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन की उत्तरी सीमा से होते हुए जाती है, इसके बाद भू-निर्देशांक 27°13'36.58" उ 92°54'2.53" पू में बिंदु दक्षिण तक जाती है। जहां पाक्के बाघ रिज़र्व/वन्यजीव अभयारण्य तंगा रिज़र्व वन का बफर जोन समाप्त होता है। इसके बाद भू-निर्देशांकों 27°13'35.77"उ 92°55'14.00"पू, 27°13'53.90"उ 92°56'41.83"पू, 27°14'13.17"उ 92°59'24.85"पू, 27°14'7.86"उ 93°0'39.16"पू, 27°14'6.67"उ 93°2'41.76"पू, 27°13'25.37"उ 93°5'37.25" पू, 12°12'54.07"उ 93°5'51.46"पू के साथ 1 किलोमीटर की चौड़ाई सहित पाक्के बाघ रिज़र्व/वन्यजीव अभयारण्य तंगा रिज़र्व वन की सीमा के समानांतर जाती है, इसके बाद यह भू-निर्देशांक 26°58' 28.69"उ 93°1'35.96"पू सहित भू-निर्देशांक 26°55'42.11"उ 92°59'51.37"पू तक जाती है जो कि पाक्के बाघ रिज़र्व/वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन का उत्तर-पूर्व भाग है।

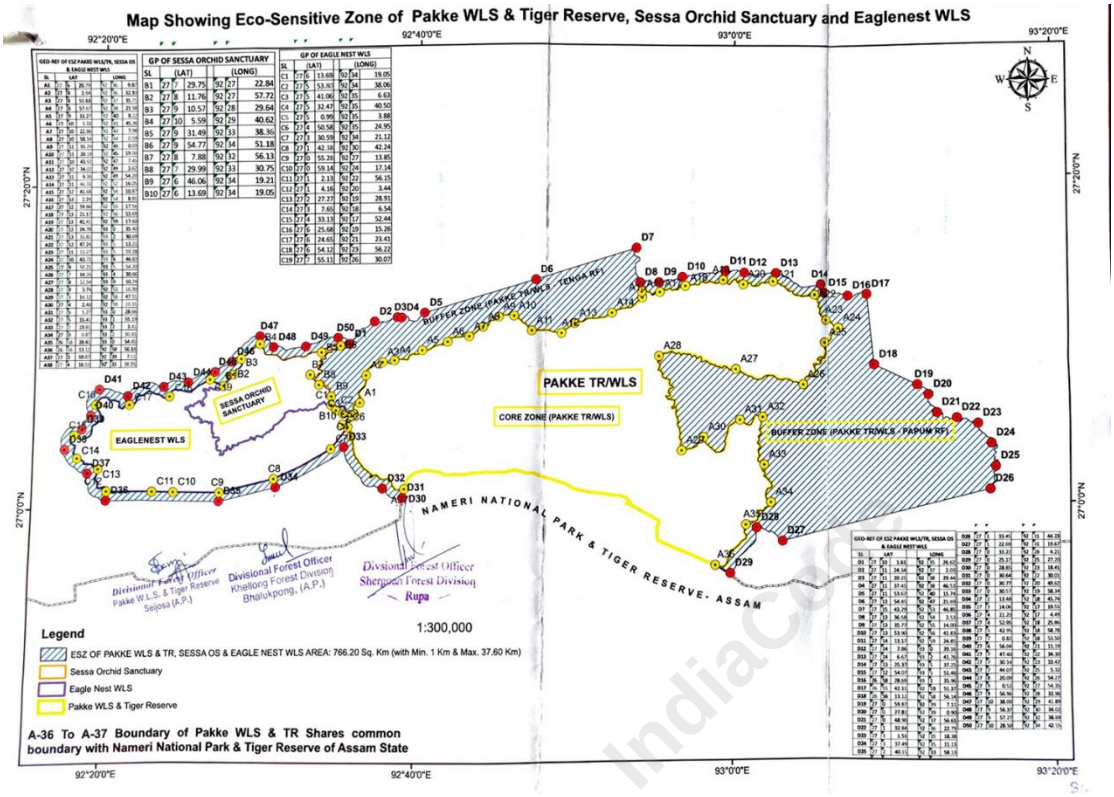
पूर्व : इसके बाद सीमा भू-निर्देशांकों 26°56'13.12"उ 92°58'56.14"पू, 27°0'59.87"उ 92°39'7.11"पू, 27°0'27.81"उ 92°39'0.90"पू, 27°0'48.90"उ 92°37'56.61" पू, 27°1'32.84"उ 92°36'22.79"पू, 27°3'1.51"उ 92°35'18.38"पू, 27°3'37.49"उ 92°35'11.13"पू, 27°2'40.15"उ 92°33'58.13"पू से होते हुए पाक्के बाघ रिज़र्व/वन्यजीव अभयारण्य पपम रिज़र्व वन की पूर्वी सीमा सहित दक्षिण की ओर मुड़ती है, इसके बाद भू-निर्देशांक 27°1'33.45"उ 92°31'44.23"पू बिंदु तक जाती है।

दक्षिण: इसके बाद यह भू-निर्देशांक 27°1'22.69"उ 92°31'19.67"पू, 27°0'33.22"उ 92°28'4.21"पू बिंदु से होते हुए पश्चिम की ओर जाती है, इसके बाद भू-निर्देशांक 27°0'25.17"उ 92°25'27.20"पू बिंदु तक 1 किलोमीटर की चौड़ाई सहित पाक्के वन्यजीव अभयारण्य, पपम रिज़र्व वन की सीमा दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर समानांतर जाती है, यह भू-निर्देशांक 26°5'613.12"उ 92°58'56.14"पू असम के नमेरी राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ रिज़र्वकू उत्तर-पूर्व सीमा तक मिलती है, इसके बाद भू-निर्देशांक 27°0'59.87"उ 92°39'7.11"पू बिंदु तक असम के नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिज़र्व की उत्तरी सीमा और अरुणाचल प्रदेश के पाक्के बाघ रिज़र्व/वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा सहित है, इसके बाद निम्नलिखित भू-निर्देशांक 27°0'30.64"उ 92°22'30.01"पू, 27°0'30.77"उ 92°20'49.62"पू भू-निर्देशांक 27°0'30.57"उ 92°19'58.34"पू तक अभयारण्य की सीमा 1 किलोमीटर की चौड़ाई के समानांतर है, इसके बाद भू-निर्देशांक 27°2'13.48"उ 92°18'45.74"पू, 27°3'14.06"उ 92°17'19.55"पू , भू-निर्देशांक तक में बिंदु से होते हुए 1 किलोमीटर की चौड़ाई सहित ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के समानांतर जाती है।

उत्तर-पश्चिम: इसके बाद, भू-निर्देशांकों 27°4'52.95"उ 92°18'25.86"पू, 27°5'42.95"उ 92°18'58.78"पू, 27°7'0.82"उ 92°18'53.50"पू, 27°6'56.04"उ 92°21'11.19"पू, 27°7'47.40"उ 92°22'34.30"पू, 27°7'30.14"उ 92°23'33.42"पू, 27°7'44.07"उ 92°25'5.32"पू, 27°8'20.09"उ 92°26'54.27"पू में बिंदु से होते हुए 1.0 किलोमीटर की चौड़ाई सहित ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा समानांतर पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद भू-निर्देशांकों 27°9'0.52"उ 92°27'54.35"पू, 27°9'56.96"उ 92°28'32.96"पू, 27°10'38.00"उ 92°29'41.89"पू, 27°9'56.37"उ 92°30'34.02"पू, 27°9'57.27"उ 92°32'38.69"पू, 20°10'28.50"उ 92°34'42.55"पू में बिदुं से होते हुए 1.0 किलोमीटर की चौड़ाई सहित सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य की सीमा के समानांतर पूर्व की ओर जाती है, यह भू-निर्देशांक 27°10'1.61"उ 92°35'26.62पू में पाक्के वन्यजीव अभयारण्य एवं बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन के आरंभिक बिंदु तक मिलती है।

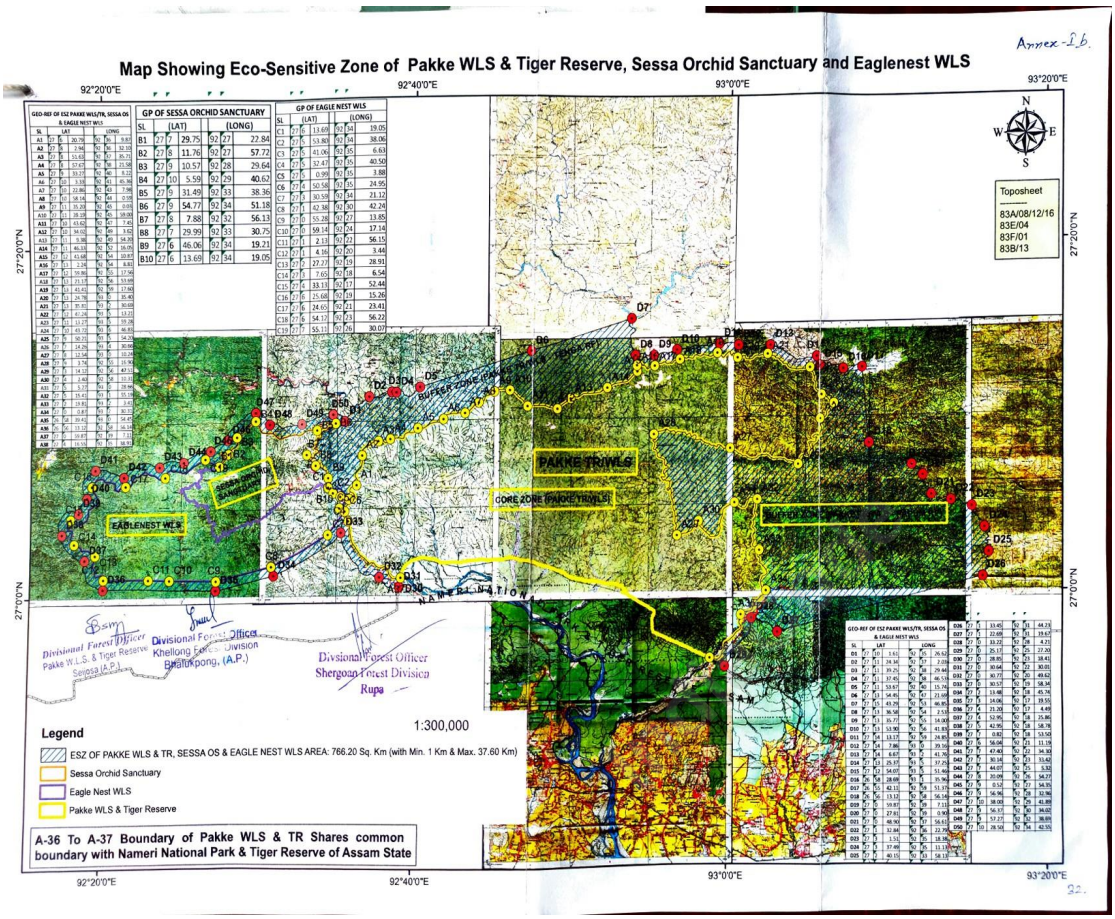
उपाबंध – IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ-साथ पाक्के वन्यजीव अभयारण्य, बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



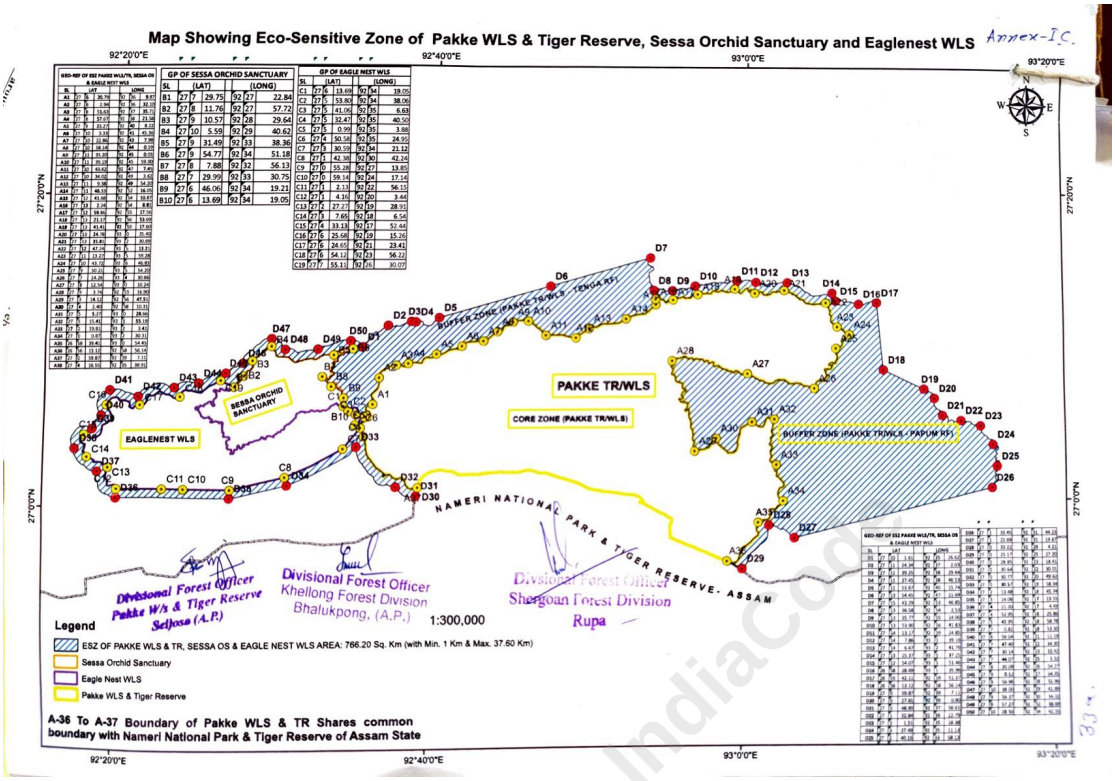
उपाबंध – IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पाक्के वन्यजीव अभयारण्य, बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध – IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पाक्के बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध -III

सारणी क: पाक्के बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

पाक्के बाघ रिज़र्व के भू-निर्देशांक		
स्तंभ सं.	अक्षांश	देशांतर
(1)	(2)	(3)
क1	27°6’20.79” उ	92°36’9.87”पू
क2	27°8’2.94”उ	92°36’32.10”पू
क3	27°8’51.63”उ	92°37’35.71”पू
क4	27°8’57.67”उ	92°38’21.58”पू
क5	27°9’33.27”उ	92°40’8.22”पू
क6	27°10’3.33”उ	92°41’45.36”पू
क7	27°10’22.86”उ	92°43’7.98”पू
क8	27°10’58.14’’उ	92°44’0.59”पू
क9	27°11’35.20”उ	92°45’0.03”पू
क10	27°11’39.19”उ	92°45’59.00”पू

क11	27°10’43.62”उ	92°47’7.45”पू
क12	27°10’34.02”उ	92°49’3.62”पू
क13	27°11’9.38”उ	92°49’54.20”पू
क14	27°11’46.33”उ	92°52’16.05”पू
क15	27°12’41.68”उ	92°54’10.87”पू
क16	27°13’2.24”उ	92°54’8.81”पू
क17	27°12’59.86”उ	92°55’17.56”पू
क18	27°13’21.17”उ	92°56’53.69”पू
क19	27°13’41.41”उ	92°59’17.60”पू
क20	27°13’24.59” उ	93°0’35.40”पू
क21	27°13’35.81”उ	93°2’30.69”पू
क22	27°12’47.24”उ	93°5’13.21”पू
क23	27°11’13.27”उ	93°5’59.28”पू
क24	27°10’43.72”उ	93°6’46.83”पू
क25	27°9’50.21”उ	93°5’54.20”पू
क26	27°7’14.26”उ	93°4’30.66”पू
क27	27°8’12.54”उ	93°0’10.24”पू
क28	27°9’3.74”उ	92°55’16.90”पू
क29	27°3’14.12”उ	92°56’47.51”पू
क30	27°4’2.40”उ	92°58’10.31”पू
क31	27°5’5.27”उ	93°0’28.66”पू
क32	27°5’15.41”उ	93°1’55.19”पू
क33	27°2’19.81”उ	93°2’3.41”पू
क34	27°0’0.87”उ	93°2’30.31”पू
क35	26°5’839.41”उ	93°0’54.45”पू
क36	26°5’613.12”उ	92°58’56.14”पू
क37	27°0’59.87”उ	92°39’7.11”पू
क38	27°4’16.55”उ	92°35’38.91”पू

IndiaCode

सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य के लिए भू-निर्देशांक						
स्तंभ सं.	**अक्षांश**			**देशांतर**		
(1)	(2)			(3)		
ख1	27	7	29.75	92	27	22.84

ख2	27	8	11.76	92	27	57.72
ख3	27	9	10.57	92	28	29.64
ख4	27	10	5.59	92	29	40.62
ख5	27	9	31.49	92	33	38.36
ख6	27	9	54.77	92	34	51.18
ख7	27	8	7.88	92	32	56.13
ख8	27	7	29.99	92	33	30.75
ख9	27	6	46.06	92	34	19.21
ख10	27	6	13.69	92	34	19.05
ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के लिए भू-निर्देशांक						
ग1	27	6	13.69	92	34	19.05
ग2	27	5	53.80	92	34	38.06
ग3	27	5	41.06	92	35	6.63
ग4	27	5	32.47	92	35	40.50
ग5	27	5	0.99	92	35	3.88
ग6	27	4	50.58	92	35	24.95
ग7	27	3	30.59	92	34	21.12
ग8	27	1	42.38	92	30	42.24
ग9	27	0	55.28	92	27	13.85
ग10	27	0	59.14	92	24	17.14
ग11	27	1	2.13	92	22	56.15
ग12	27	1	4.16	92	20	3.44

IndiaCode

ग13	27	2	27.27	92	19	28.91
ग14	27	3	7.65	92	18	6.54
ग15	27	4	33.13	92	17	52.44
ग16	27	6	25.68	92	19	15.26
ग17	27	6	24.65	92	21	23.41
ग18	27	6	54.12	92	23	56.22
ग19	27	7	55.11	92	26	30.07

सारणी ख: पाक्के बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

पारिस्थितिकी संवेदी जोन पाक्के वन्यजीव अभयारण्य/बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक		
स्तंभ सं.	**अक्षांश**	**देशांतर**
(1)	**(2)**	**(3)**
घ1	27°10’1.61”उ	92°35’26.62”पू
घ2	27°11’24.34”उ	92°37’2.03”पू
घ3	27°11’39.25”उ	92°38’29.44”पू
घ4	27°11’37..45”उ	92°38’46.53”पू
घ5	27°11’53.67”उ	92°40’15.74”पू
घ6	27°13’54.45”उ	92°47’21.69”पू
घ7	27°15’43.29”उ	92°53’46.85”पू
घ8	27°13’36.58”उ	92°54’2.53”पू
घ9	27°13’35.77”उ	92°55’14.00”पू

IndiaCode

घ10	27°13’53.90”उ	92°56’41.83”पू
घ11	27°14’13.17”उ	92°59’24.85”पू
घ12	27°14’7.86”उ	93°0’39.16”पू
घ13	27°14’6.67”उ	93°2’41.76”पू
घ14	27°13’25.37”उ	93°5’37.25”पू
घ15	27°12’54.07”उ	93°5’51.46”पू
घ16	26°58’28.69”उ	93°1’35.96”पू
घ17	26°55’42.11”उ	92°59’51.37”पू
घ18	26°56’13.12”उ	92°58’56.14”पू
घ19	27°0’59.87”उ	92°39’7.11”पू
घ20	27°0’27.81”उ	92°39’0.90”पू
घ21	27°0’48.90”उ	92°37’56.61”पू
घ22	27°1’32.84”उ	92°36’22.79”पू
घ23	27°3’1.51”उ	92°35’18.38”पू
घ24	27°3’37.49”उ	92°35’11.13”पू
घ25	27°2’40.15”उ	92°33’58.13”पू
घ26	27°1’33.45”उ	92°31’44.23”पू
घ27	27°1’22.69”उ	92°31’19.67”पू
घ28	27°0’33.22”उ	92°28’4.21”पू
घ29	27°0’25.17”उ	92°25’27.20”पू
घ30	27°0’28.85”उ	92°23’18.41”पू

IndiaCode

घ31	27°0’30.64”उ	92°22’30.01”पू
घ32	27°0’30.77उ	92°20’49.62”पू
घ33	27°0’30.57”उ	92°19’58.34”पू
घ34	27°2’13.48”उ	92°18’45.74”पू
घ35	27°3’14.06”उ	92°17’19.55”पू
घ36	27°4’21.20”उ	92°17’4.49”पू
घ37	27°4’52.95”उ	92°18’25.86”पू
घ38	27°5’42.95”उ	92°18’58.78”पू
घ39	27°7’0.82”उ	92°18’’53.50”पू
घ40	27°6’56.04”उ	92°21’11.19”पू
घ41	27°7’47.40”उ	92°22’34.30”पू
घ42	27°7’30.14”उ	92°23’33.42”पू
घ43	27°7’44.07”उ	92°25’5.32”पू
घ44	27°8’20.09”उ	92°26’54.27”पू
घ45	27°9’0.52”उ	92°27’54.35”पू
घ46	27°9’56.96”उ	92°28’32.96”पू
घ47	27°10’38.00”उ	92°29’41.89”पू
घ48	27°9’56.37”उ	92°30’34.02”पू
घ49	27°9’57.27”उ	92°32’38.69”पू
घ50	27°10’28.50”उ	92°34’42.55”पू

IndiaCode

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांक के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम नाम	तहसील/तालुक	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नीति डार्लोन्ग	सेइजोसा	पाक्के-केसांग	उ 26°56'19.24"	पू 92°59'38.09"
2.	डार्लोन्ग	सेइजोसा	पाक्के-केसांग	उ 26°56'36.21"	पू 92°59'50.62"
3.	निचला सीजोसा	सेइजोसा	पाक्के-केसांग	उ 26°57'18.12"	पू 93° 0'24.20"
4.	ऊपरी सीजोसा	सेइजोसा	पाक्के-केसांग	उ 26°57'28.27"	पू 93° 0'38.63"
5.	निचली बाली बस्ती	सेइजोसा	पाक्के-केसांग	उ 26°58'22.25"	पू 93° 0'57.57"
6.	ऊपरी बाली बस्ती	सेइजोसा	पाक्के-केसांग	उ 26°58'43.48"	पू 93° 1'11.72"
7.	ए-I	सेइजोसा	पाक्के-केसांग	उ 26°58'41.94"	पू 93° 1'36.76"
8.	ए-II	सेइजोसा	पाक्के-केसांग	उ 26°58'57.35"	पू 93° 1'45.98"
9.	ए-III	सेइजोसा	पाक्के-केसांग	उ 26°59'39.70"	पू 93° 2'16.65"
10.	गोलोसो	सेइजोसा	पाक्के-केसांग	उ 26°59'57.80"	पू 93° 2'29.54"
11.	जॉली	सेइजोसा	पाक्के-केसांग	उ 27° 0'31.15"	पू 93° 2'21.76"
12.	लंग्का	सेइजोसा	पाक्के-केसांग	उ 27° 0'57.56"	पू 93° 2'41.05"
13.	योर्टपोबे	पाक्केकेसांग	पाक्के-केसांग	उ 27°12'57.01"	पू 93° 5'19.39"
14.	सेबा	सेप्पा	पाक्के-केसांग	उ 27°13'41.69"	पू 93° 2'23.76"
15.	किमी	भालुकपोंग	पश्चिम कामेंग	उ 27°10'34.71"	पू 92°42'37.28"
16.	एलिफैंट फ्लैटे	भालुकपोंग	पश्चिम कामेंग	उ 27° 5'29.05"	पू 92°35'42.40"
17.	पिंजोली	भालुकपोंग	पश्चिम कामेंग	उ 27° 4'29.30"	पू 92°35'31.55"
18.	टिप्पी	भालुकपोंग	पश्चिम कामेंग	उ 27° 1'39.98"	पू 92°36'43.33"
19.	भालुकपोंग	भालुकपोंग	पश्चिम कामेंग	उ 27° 0'59.72"	पू 92°38'48.83"

उपाबंध -V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रफोर्मा : -

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध के रुप में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति ।

IndiaCode

4. भू-अभिलेखों की प्रकट त्रुटियों के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सार। (विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें)।

5. पर्यावरण समापात आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

6. पर्यावरण समापात आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।

7. पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2024

S.O. 1923(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 3780(E), dated the 22nd August, 2023, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 23rd August, 2023;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the said draft notification;

WHEREAS, the Sessa Orchid Sanctuary is spread over an area of 100 square kilometer and situated in West Kameng District of Arunachal Pradesh. The Sanctuary was notified on 19th July, 1982 vide notification no. FOR.32/IND-1/82/17706-45, dated the 19th July, 1982.

AND WHEREAS, the Sessa Orchid Sanctuary is known for indigenous Orchids available in the region. This sanctuary has been notified with the objective is for protection and Conservation, including development of in-situ Orchids. Apart from protection and conservation of Orchids, it helps in protection of wildlife and the rich biodiversity found in the Sanctuary.

AND WHEREAS, the Eagle Nest Wildlife Sanctuary is spread over an area of 217 Square Kilometers and situated in the Singchung administrative circle of West Kameng district in the state of Arunachal Pradesh as notified on the 18th October, 1989 vide notification no. CWL/D/27/89/3101-3174.

AND WHEREAS, the Pakke Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve is spread over an area of 861.95 sq km and located in the Pakke Kessang district of Arunachal Pradesh which is surrounded by the Tenga Reserve Forest to the North, Doimara Reserve Forest on the West, Nameri National Park and Tiger Reserve (Assam) on the South and some agricultural land as well as Papum Reserve Forest on the East

AND WHEREAS, the forests of North-East India are recognized as a 'Global Biodiversity Hotspot' and 'Endemic Bird Area' due to their richness in floral and faunal species. The landscape has high species diversity and endemicity as it forms the transition zone between the Indian and Malayan eco-regions.

AND WHEREAS, the two important parts of the North-East Indian tiger landscape are the Brahmaputra flood plains and the North-East Indian hills and the Pakke and Nameri Tiger Reserves are situated North of the river Brahmaputra in the transition zone between the Assam plains and the hilly forests of Arunachal Pradesh forming one of the largest blocks of semi-evergreen and evergreen forests in the North-East.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Pakke Tiger Reserve, Eagle nest Wildlife Sanctuary and Sessa Orchid Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 kilometers to 37.60 kilometers around the boundary of Pakke Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve, Eagle Nest Wildlife Sanctuary and Sessa Orchid Sanctuary in the State of Arunachal Pradesh as the Pakke Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve, Eagle Nest Wildlife Sanctuary and Sessa Orchid Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone, (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone, the details of which are specified in paragraph1, for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing and controlling and abating environment pollutions and take the following measures, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-Sensitive Zone shall cover an area of 766.20 square kilometers with an extent varying from zero kilometer to 37.60 kilometers around the Pakke Tiger Reserve, Eagle Nest Wildlife Sanctuary and Sessa Orchid Sanctuary. The Extent of Eco-Sensitive zone in different directions is given below: -

DIRECTION	EXTENT
North	1.0 Km
North-East	1.0 to 2.5 Km
East	2.0 to 37.60 km
South-East	1.0 Km
South	0 Km
South-West	1 Km
West	1 Km
North-West	1 Km

Note: Zero extent of Eco-Sensitive Zone is due to the boundary of Nameri National Park and Tiger Reserve of Assam that lies in the southern part of Pakke Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve. The boundary of the Sanctuary is base marked by prominent and noticeable features like ridges and gorges, streams & nallahs.

(2) The boundary description of Protected Areas and its Eco-Sensitive Zone is specified in Tables A to D of **Annexure- I** appended to the notification.

(3) The map of the Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A, II B and II C.**

(4) The geo-coordinates of prominent locations along the boundary of Pakke Wildlife Sanctuay and Tiger Reserve, Eagle Nest Wildlife Sanctuary and Sessa Orchid Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling within the Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone - (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone, prepare and notify a Zonal Master Plan within two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared in the manner specified in this notification and also shall be in consonance with the relevant laws for the time being in force and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely: -

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipality;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Arunachal Pradesh Pollution Control Board;

(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in the improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for the restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of the local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas such as parks and like places, horticulture areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for the security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so prepared and notified shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Until the preparation of the Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone, all new construction and other developmental activities shall be referred to the Monitoring Committee.

3. Measures to be taken by the State Government. -The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification.

(1) Land use- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified in this clause, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and the provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities, such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and constructing of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestay; and

(v) promoted activities are given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or any law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with the Departments of Environment and Forests of the State Government.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of the carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(ii) until the Zonal Master Plan is prepared and approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the regulatory authorities concerned based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and a heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution- Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and as amended from time to time.

(7) Air pollution- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and as amended from time to time.

(8) Discharge of effluents- The discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and as amended from time to time.

(9) Solid wastes- Disposal and Management of solid wastes shall be as under: -

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time. The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste – Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(13) E-waste - The e- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel such as CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units –

a) No new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone on or after the publication of this notification in the Official Gazette,

b) Only non-polluting industries shall be allowed within the ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 the rules made there under and other notifications, laws and acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner and as amended from time to time specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order (s) of the Hon'ble Supreme Court in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012 and IA No. 1000 of 2003 judgment dated 03.06.2022 and subsequent IA No. 131377 of 2022 judgment dated 26.04.2023 and 28.04.2023.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) No New commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale nonpolluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
13.	Collection of Forest produce or Non-	Regulated as per the applicable laws.

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	Timber Forest Produce (NTFP).	
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated as per the applicable law (Underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose as per the applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per applicable laws.
21.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable law.
22.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
23.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
33.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
34.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee -

There shall be a committee to be known as Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification, consisting of the following namely: -

S.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Deputy Commissioner, West Kameng District Arunachal Pradesh	Chairman, *ex-Officio;*
(ii)	Member Secretary, State Biodiversity Board	Member, *ex-Officio;*
(iii)	Representative from Urban Development Department, West Kameng District, Pakke Kessang District, Arunachal Pradesh	Member, *ex-Officio;*
(iv)	One representative of Public Works Department from each district of West Kameng and Pakke Kessang of Arunachal Pradesh	Member, *ex-Officio;*
(v)	One representative from Rural Works Department from each district of West Kameng and Pakke Kessang of Arunachal Pradesh	Member, *ex-Officio;*
(vi)	A representative of Non-Governmental Organization (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government for a term not exceeding three years in each case	Member;
(vii)	An expert in the area of ecology, biodiversity and environment to be nominated by the State Government for a term not exceeding three years in each case	Member;
(viii)	Divisional Forest Officer, Shergaon (Eagle Nest Wildlife Sanctuary)	Member, *ex-Officio;*
(ix)	Divisional Forest Officer, Khellong (Sessa Orchid Wildlife Sanctuary)	Member, *ex-Officio;*
(x)	Divisional Forest Officer, Pakke Forest Division Pakke Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve	Member Secretary, *ex-Officio*;

IndiaCode

6. Terms and Functions of the monitoring committee:

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Regulatory Authorities concerned.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector concerned or the Deputy Conservator of Forests concerned shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from Departments concerned, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma appended at Annexure V.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

[F. No. 25/8/2021-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

Table A: BOUNDARY DESCRIPTION OF THE PAKKE WILDLIFE SANCTURY

Directions	Description
(1)	**(2)**
North	From the point on the Bhorali river near Sicham when it changes its Westerly direction to Southwards. Thence along the right bank of the Bhorali Eastward to its confluence with Passuni river thence along the right bank of the Passuni river Eastward to the confluence with one of its tributaries about four miles East from its junction with Miri Ipatha River
East	Thence Southwards along the right bank of this tributary to its source and across the ridge to the source of one of the tributaries of the Pakhui riever (which tributaries crosses the foothpath from Sema to Xelanggania village about 4/1 mile from its junction with the pakhuni River). Thence along the left bank of the tributary the Pakhui River. Thence along the left bank of the Pakhui river to the point where it crosses the inner line.
South	Thence along the Inner line to the point where it crosses the Bhorali River.
West	Thence along the left bank of the Bhorali Northwards to the Starting point.

Table B: BOUNDARY DESCRIPTION OF THE EAGLE NEST WILDLIFE SANCTUARY

Directions	Description
(1)	**(2)**
North and East	From the point at alt. 2966 at Nganpe (GR 707355) the boundary follows an artificial line along the ridges through GR 723351,727364, 732368, 736372, 738375, 734383, till it meets the Doimara Shergaon foot-path. Thence along the foot path towards North West upto its junction with Pirla, Shergaon foot-path. East Ward till it meets Chaku Thungre foot-path at (alt.2829) Pirla GR 815408. Thence the boundary follows an artificial line about 110° for a distance of 2 Km approx. i.e. 'upto' ridge alt. 3213 at Bra (FR 830405). Thence another artificial line along the ridge though GR 836410,840413 till it meets the Eagle Nest- Thungre footpath at GR 849419. Thence along foot-path in South East wards till it meets Chaku at GR 825385. Thence the boundary follows an artificial line about 135° for a distance of 750 meters approx. Till it meets Tipi Nallah. Thence along the downstream of Tipi Nallah upto the confluence with its tributary coming from North East at GR 920364. Thence another artificial straight line about 45° for a distance 4.7 Km. approx. till it meets the Bomdila- Bhalukpong road at GR 940383. Thence along the road towards East upto Pinjoli at. GR 998365.
South	Thence the boundary follows an artificial line touching picks 1192 (GR 982341) 1260 (GR 950321), 1384 (GR 864290), 1275(GR 815290) by crossing foothill of Chaku Road, and pick 1325 (GR

	781291). Thence the boundary follows an artificial straight line about 270° for a distance of 3.6 km approx. till it meets unnamed stream coming from North (GR 745291).
West	Thence along the upstream of that unnamed Nallah upto its source at GR 705349. Thence the boundary follows' an artificial straight Line about 30° for a distance of Q.7 Km, the starting point.

Table C: BOUNDARY DESCRIPTION OF SESSA ORCHID WILDLIFE SANCTUARY

Directions	Description
(1)	**(2)**
North	(a) Starting from the point named Eaglenest at Cheku Tenga road alt.2781 follows the road towards Norther upto 68 km point at Chaku Tenga road (at GR 891443) where a tributary upto its confluence with Dogongkho at GR 900459. Thence downstream of Dogongkho Nallah upto its confluence with another unnamed stream upto its source at GR 919445. (b) The boundary follows & artificial straight line about 90' for a distance of 200 mtr i.e. upto the source of a tributary of Dji nallah at GR 920445. (c) The downstream of that tributary and Diji nallah upto a bridge on Bomdila Bhalukpong road at GR 966453.Thence along the BomdilaBhalukpong road towards East upto 'O' point i.e. junction point of Seppa road.
East	(a) Thence along the Bomdila, Bhalukpong road in South-West wards till it crosses the tributary of Sessa Nallah at GR 956425.Thence along downstream of that tributary up to its confluence with Sessa Nallah. (b) The boundary follows an artificial straight line about 180˚ for a distance of 1 km. approx. till it crosses the Bhalukpong Bomdila road at GR 979390.
South	(a) Thence along the road west wards upto GR 740383.Thence the boundary follows an artificial straight line about 225˚ for a distance of 4.7kms.approx. i.e upto the confluence of a tributary of Tipi nallah its source at GR 829382. (b) An artificial straight line about 315˚ for a distance of 0.75 km i.e. upto chaku at GR 825385.
West	The boundary follows along the Chaku-Tenga Road North East wards upto the starting point.

Table D: BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSETIVE ZONE AROUND PAKKE WILDLIFE SANCTUARY & TIGER RESERVE, SESSA ORCHID WILDLIFE SANCTUARY & EAGLE NEST WILDLIFE SANCTUARY

NORTH: The boundary of combined Eco-Sensitive Zone of Pakke Wildlife Sanctuary & Tiger Reserve, Sessa Orchid Sanctuary and Eagle Nest Wildlife Sanctuary, starts from a point at geo co- ordinates 27°10'1.61"N92°35'26.62"E, on the north-west boundary of buffer zone of Pakke TR/WLST-Tenga RF. Thence following the northern boundary of buffer zone of Pakke TR/WLS- Tange RF through the geo co-ordinates 27°11'24.34" N 92°37'2.03"E, 27°11'39.25″ N 92°38'29.44"E, 27°11'37.45″N 92°38'46.53"E, 27°11'53.67"N 92°40'15.74"E, 27°13'54.45" 92°47'21.69"E upto the geo co-ordinates 27°15'43.29″N 92°53'46.85"E, thence towards south upto a point at geo co-ordinates 27°13'36.58″N 92°54'2.53" E where buffer zone of Pakke TR/WLS- Tanga RF ends. Thence parallel to the boundary of Pakke TR/WLS- Tanga RF with a width of 1 km along the geo co-ordinates 27°13'35.77″N 92°55'14.00"E 27°13'53.90"N 92°56'41.83"E, 27°14'13.17"N 92°59'24.85"E, 27°14'7.86"N 93°0'39.16"E, 27°14'6.67"N 93°2'41.76"E, 27°13'25.37"N 93°5'37.25"E, 12°12'54.07"N 93°5'51.46"E thence to the north east portion of buffer zone of Pakke TR/WLS- Papum RF along the geo co-ordinates 26°58' 28.69"N 93°1'35.96"E up to the geo coordinates 26°55'42.11"N 92°59'51.37″E.

EAST: Thence the boundary moves towards south- wards along the eastern boundary of Pakke TR/WLS- Papum RF through the geo co-ordinates 26°56'13.12"N 92°58'56.14"E, 27°0'59.87"N 92°39'7.11"E, 27°0'27.81"N 92°39'0.90"E, 27°0'48.90"N 92°37'56.61"E, 27°1'32.84"N 92°36'22.79"E, 27°3'1.51"N 92°35'18.38"E, 27°3'37.49"N 92°35'11.13"E, 27°2'40.15"N 92°33'58.13"E thence upto the point at geo co-ordinates 27°1'33.45"N 92°31'44.23"E.

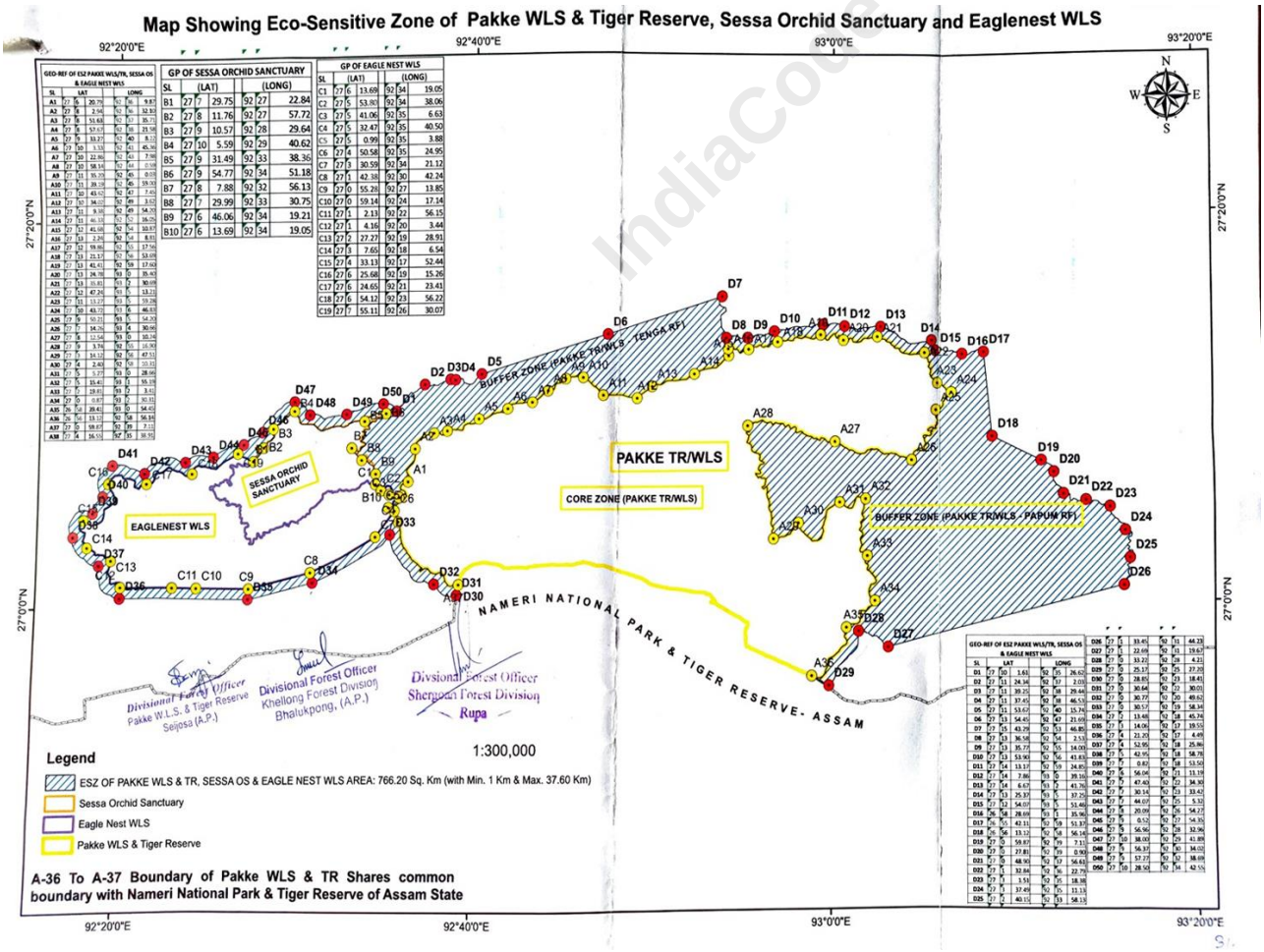
SOUTH: Thence towards west through the point at geo co-ordinates 27°1'22.69"N 92°31'19.67"E, 27°0'33.22"N 92°28'4.21"E, thence towards south west direction parallel to the boundary of Pakke WLS Papum RF with a width of 1 km upto a point at geo co-ordinates 27°0'25.17"N 92°25'27.20"E till it meet north east boundary of Nameri National

Park & TR of Assam at geo co-ordinates 26°5'613.12"N 92°58'56.14"E thence along the northern boundary of Nameri National Park & TR of Assam and southern boundary of Pakke TR/ WLS of Arunachal Pradesh upto a point at geo co-ordinates 27°0'59.87"N 92°39'7.11"E thence width of 1 km parallel to the boundary of the Sanctuary following geo co-ordinates 27°0'30.64"N 92°22'30.01"E, 27°0'30.77"N 92°20'49.62"E, up to the geo co-ordinates 27°0'30.57"N 92°19'58.34"E thence parallel to the boundary of Eaglenest WLS with a width of 1 km through the points at the geo co-ordinates 27°2'13.48"N 92°18'45.74"E, 27°3'14.06"N 92°17'19.55"E, up to the geo co-ordinates 27°4'21.20"N 92°17'4.49"E.

NORTH-WEST: Thence, towards west parallel to boundary of Eagle Nest WLS with a width of 1.0 km through points at geo co-ordinates 27°4'52.95"N 92°18'25.86"E, 27°5'42.95"N 92°18'58.78"E, 27°7'0.82"N 92°18'53.50"E, 27°6'56.04"N 92°21'11.19"E, 27°7'47.40"N 92°22'34.30"E, 27°7'30.14"N 92°23'33.42"E, 27°7'44.07"N 92°25'5.32"E, upto 27°8'20.09"N 92°26'54.27"E. Thence towards east parallel to boundary of Sessa Orchid Sanctuary with a width of 1.0 km through the points at geo co-ordinates, 27°9'0.52"N 92°27'54.35"E, 27°9'56.96"N 92°28'32.96"E, 27°10'38.00"N 92°29'41.89"E, 27°9'56.37"N 92°30'34.02"E, 27°9'57.27"N 92°32'38.69"E, 20°10'28.50"N 92°34'42.55"E till it meet the starting point of combined Eco-Sensitive Zone of Pakke Wildlife Sanctuary & Tiger Reserve, Sessa Orchid Sanctuary and Eagle Nest Wildlife Sanctuary at geo co-ordinates 27°10'1.61"N 92°35'26.62E.

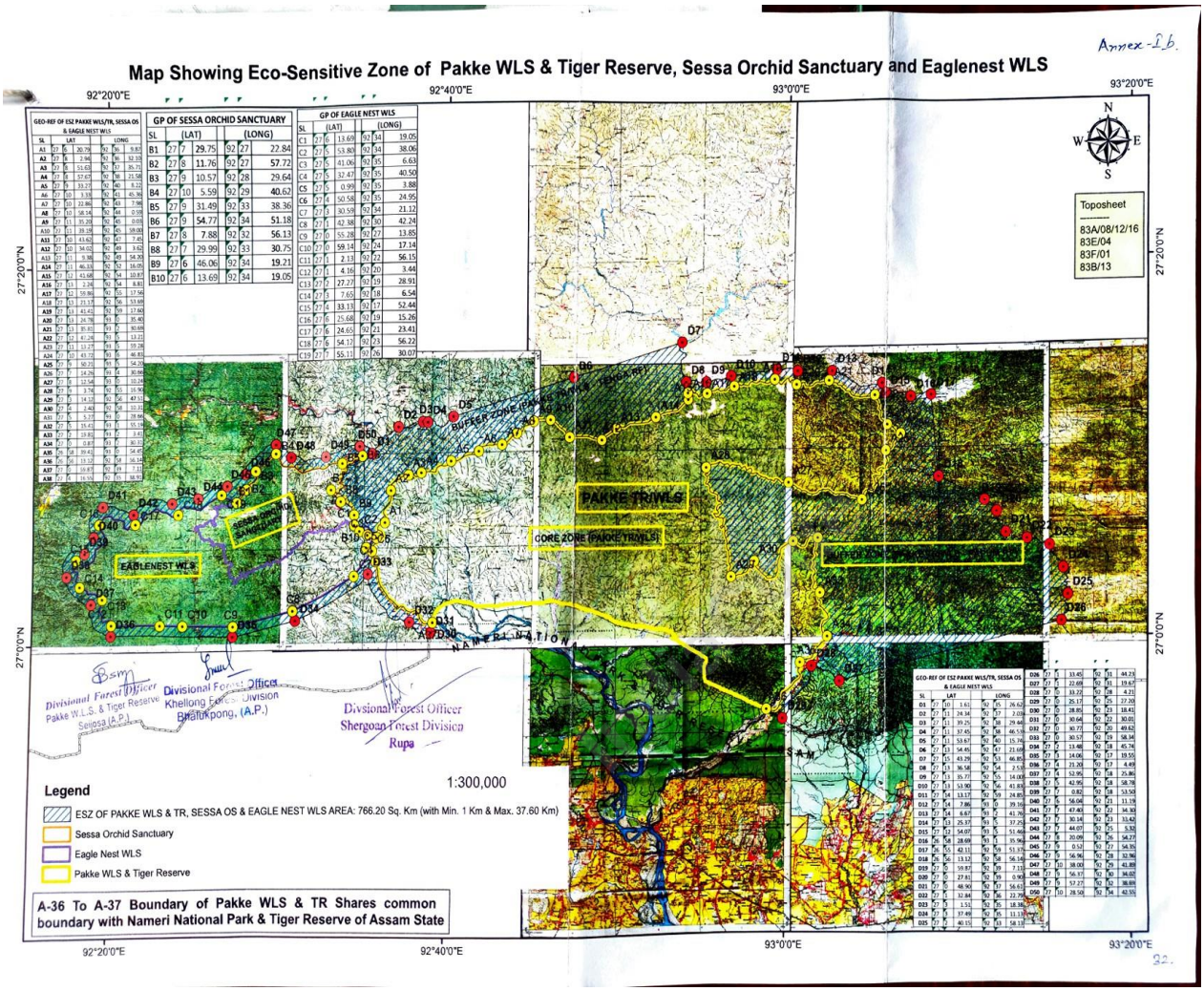
ANNEXURE II A

Map of Eco-Sensitive Zone of Pakke Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve, Sessa Orchid Wildlife Sanctuary and Eaglenest Wildlife Sanctuary along with geocoordinates of Prominent Locations



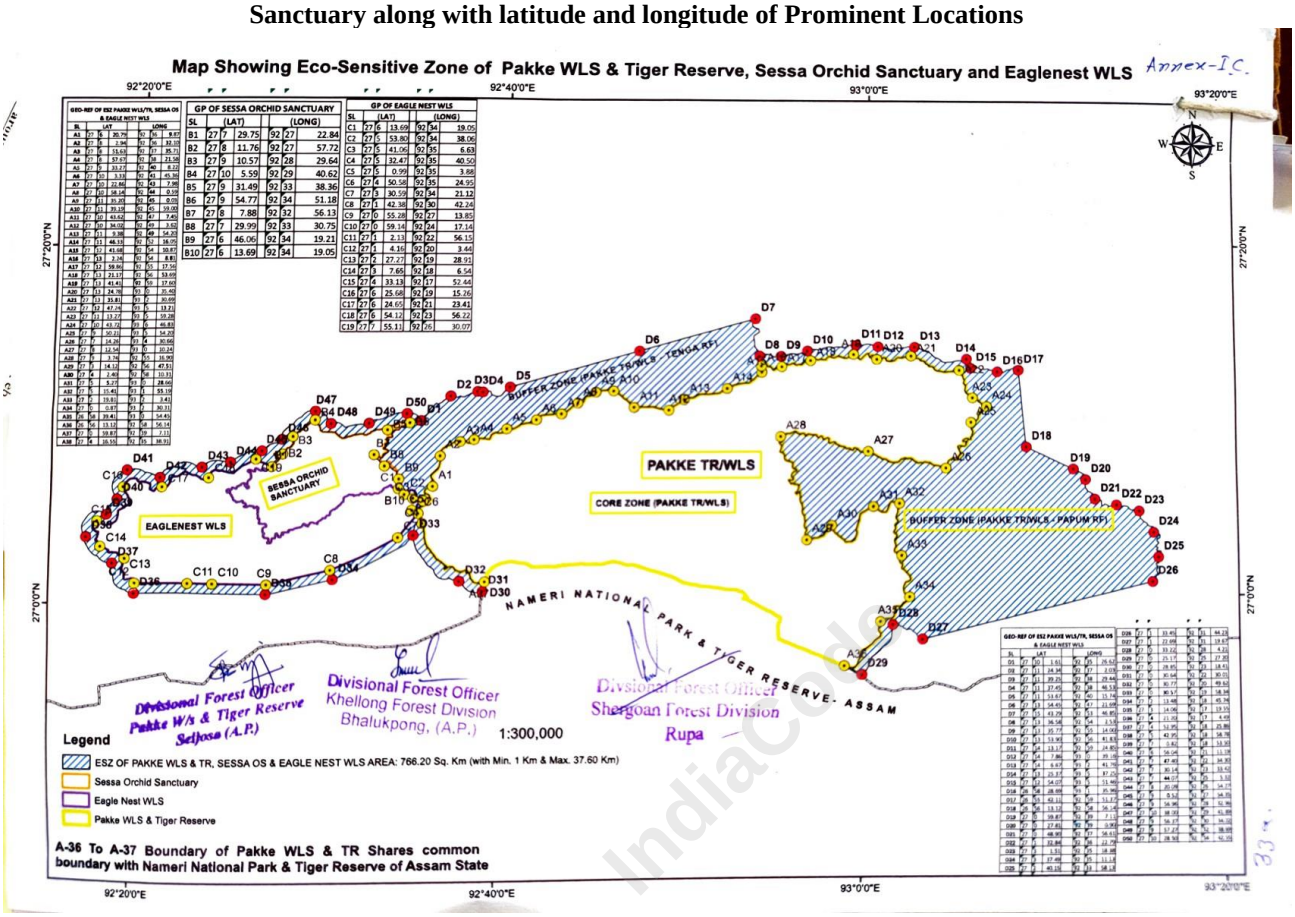
ANNEXURE II B

Map of Eco-Sensitive Zone of Pakke Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve, Sessa Orchid Wildlife Sanctuary and Eaglenest Wildlife Sanctuary along with latitude and longitude of Prominent Locations



ANNEXURE II C

Map of Eco-Sensitive Zone of Pakke Tiger Reserve, Sessa Orchid Wildlife Sanctuary and Eagle nest Wildlife Sanctuary along with latitude and longitude of Prominent Locations



ANNEXURE- III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Pakke Tiger Reserve, Sessa Orchid Wildlife Sanctuary and Eagle nest Wildlife Sanctuary

GEOCORDINTES FOR PAKKE TIGER RESERVE		
PILLAR NO.	LATITUDE	LONGITUDE
(1)	(2)	(3)
A1	27°6’20.79” N	92°36’9.87” E
A2	27°8’2.94” N	92°36’32.10” E
A3	27°8’51.63” N	92°37’35.71” E
A4	27°8’57.67” N	92°38’21.58” E
A5	27°9’33.27” N	92°40’8.22” E
A6	27°10’3.33” N	92°41’45.36” E
A7	27°10’22.86” N	92°43’7.98” E
A8	27°10’58.14’’N	92°44’0.59” E
A9	27°11’35.20” N	92°45’0.03” E

A10	27°11’39.19” N	92°45’59.00” E
A11	27°10’43.62” N	92°47’7.45” E
A12	27°10’34.02” N	92°49’3.62” E
A13	27°11’9.38” N	92°49’54.20” E
A14	27°11’46.33” N	92°52’16.05” E
A15	27°12’41.68” N	92°54’10.87” E
A16	27°13’2.24” N	92°54’8.81” E
A17	27°12’59.86” N	92°55’17.56” E
A18	27°13’21.17” N	92°56’53.69” E
A19	27°13’41.41” N	92°59’17.60” E
A20	27°13’24.59” N	93°0’35.40” E
A21	27°13’35.81” N	93°2’30.69” E
A22	27°12’47.24” N	93°5’13.21” E
A23	27°11’13.27” N	93°5’59.28” E
A24	27°10’43.72” N	93°6’46.83” E
A25	27°9’50.21” N	93°5’54.20” E
A26	27°7’14.26” N	93°4’30.66” E
A27	27°8’12.54” N	93°0’10.24” E
A28	27°9’3.74” N	92°55’16.90” E
A29	27°3’14.12’’N	92°56’47.51’’E
A30	27°4’2.40” N	92°58’10.31” E
A31	27°5’5.27” N	93°0’28.66’’E
A32	27°5’15.41’’N	93°1’55.19” E
A33	27°2’19.81” N	93°2’3.41” E
A34	27°0’0.87” N	93°2’30.31” E
A35	26°5’839.41” N	93°0’54.45” E
A36	26°5’613.12” N	92°58’56.14” E
A37	27°0’59.87” N	92°39’7.11” E
A38	27°4’16.55” N	92°35’38.91” E

IndiaCode

GEOCOORDINTES FOR SESSA ORCHID SANCTUARY						
PILLAR NO.	LATITUDE (DMS)			LONGITUDE		
(1)	(2)			(3)		
B1	27	7	29.75	92	27	22.84
B2	27	8	11.76	92	27	57.72
B3	27	9	10.57	92	28	29.64
B4	27	10	5.59	92	29	40.62
B5	27	9	31.49	92	33	38.36
B6	27	9	54.77	92	34	51.18
B7	27	8	7.88	92	32	56.13
B8	27	7	29.99	92	33	30.75
B9	27	6	46.06	92	34	19.21
B10	27	6	13.69	92	34	19.05
GEOCOORDINTES FOR EAGLE NEST WILDLIFE SANCTUARY						
C1	27	6	13.69	92	34	19.05
C2	27	5	53.80	92	34	38.06
C3	27	5	41.06	92	35	6.63
C4	27	5	32.47	92	35	40.50
C5	27	5	0.99	92	35	3.88
C6	27	4	50.58	92	35	24.95
C7	27	3	30.59	92	34	21.12
C8	27	1	42.38	92	30	42.24
C9	27	0	55.28	92	27	13.85
C10	27	0	59.14	92	24	17.14
C11	27	1	2.13	92	22	56.15
C12	27	1	4.16	92	20	3.44
C13	27	2	27.27	92	19	28.91

IndiaCode

C14	27	3	7.65	92	18	6.54
C15	27	4	33.13	92	17	52.44
C16	27	6	25.68	92	19	15.26
C17	27	6	24.65	92	21	23.41
C18	27	6	54.12	92	23	56.22
C19	27	7	55.11	92	26	30.07

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations for Eco-Sensitive Zone along the boundary of Pakke Tiger Reserve, Sessa Orchid Wildlife Sanctuary and Eagle nest Wildlife Sanctuary

GEOCOORDINTES FOR ESZ OF PAKKE WLS/TR, SESSA WLS & EAGLE NEST WLS		
PILLAR NO.	**LATITUDE**	**LONGITUDE**
(1)	**(2)**	**(3)**
D1	27°10’1.61” N	92°35’26.62” E
D2	27°11’24.34” N	92°37’2.03” E
D3	27°11’39.25” N	92°38’29.44” E
D4	27°11’37.45” N	92°38’46.53” E
D5	27°11’53.67” N	92°40’15.74” E
D6	27°13’54.45” N	92°47’21.69” E
D7	27°15’43.29” N	92°53’46.85” E
D8	27°13’36.58” N	92°54’2.53” E
D9	27°13’35.77” N	92°55’14.00” E
D10	27°13’53.90” N	92°56’41.83” E
D11	27°14’13.17” N	92°59’24.85” E
D12	27°14’7.86” N	93°0’39.16” E
D13	27°14’6.67” N	93°2’41.76” E
D14	27°13’25.37” N	93°5’37.25” E
D15	27°12’54.07” N	93°5’51.46” E
D16	26°58’28.69” N	93°1’35.96” E
D17	26°55’42.11” N	92°59’51.37” E
D18	26°56’13.12” N	92°58’56.14” E
D19	27°0’59.87” N	92°39’7.11” E
D20	27°0’27.81” N	92°39’0.90” E

IndiaCode

D21	27°0’48.90” N	92°37’56.61” E
D22	27°1’32.84” N	92°36’22.79” E
D23	27°3’1.51” N	92°35’18.38” E
D24	27°3’37.49” N	92°35’11.13” E
D25	27°2’40.15” N	92°33’58.13” E
D26	27°1’33.45” N	92°31’44.23” E
D27	27°1’22.69” N	92°31’19.67” E
D28	27°0’33.22” N	92°28’4.21” E
D29	27°0’25.17” N	92°25’27.20” E
D30	27°0’28.85” N	92°23’18.41” E
D31	27°0’30.64” N	92°22’30.01” E
D32	27°0’30.77’’ N	92°20’49.62” E
D33	27°0’30.57” N	92°19’58.34” E
D34	27°2’13.48” N	92°18’45.74” E
D35	27°3’14.06” N	92°17’19.55” E
D36	27°4’21.20” N	92°17’4.49” E
D37	27°4’52.95” N	92°18’25.86” E
D38	27°5’42.95” N	92°18’58.78” E
D39	27°7’0.82” N	92°18’’53.50” E
D40	27°6’56.04” N	92°21’11.19” E
D41	27°7’47.40” N	92°22’34.30” E
D42	27°7’30.14” N	92°23’33.42” E
D43	27°7’44.07” N	92°25’5.32” E
D44	27°8’20.09” N	92°26’54.27” E
D45	27°9’0.52” N	92°27’54.35” E
D46	27°9’56.96” N	92°28’32.96” E
D47	27°10’38.00” N	92°29’41.89” E
D48	27°9’56.37” N	92°30’34.02” E
D49	27°9’57.27” N	92°32’38.69” E
D50	27°10’28.50” N	92°34’42.55” E

IndiaCode

ANNEXURE IV

List of villages inside the Eco-Sensitive Zone with their Geo-Coordinates

Sl. No.	Village Name	Tehsil/Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Niti Darlong	Seijosa	Pakke Kessang	N 26°56'19.24"	E 92°59'38.09"
2.	Darlong	Seijosa	Pakke Kessang	N 26°56'36.21"	E 92°59'50.62"
3.	Lower Seijosa	Seijosa	Pakke Kessang	N 26°57'18.12"	E 93° 0'24.20"
4.	Upper Seijosa	Seijosa	Pakke Kessang	N 26°57'28.27"	E 93° 0'38.63"
5.	Lower Bali Basti	Seijosa	Pakke Kessang	N 26°58'22.25"	E 93° 0'57.57"
6.	Upper Bali Basti	Seijosa	Pakke Kessang	N 26°58'43.48"	E 93° 1'11.72"
7.	A-I	Seijosa	Pakke Kessang	N 26°58'41.94"	E 93° 1'36.76"
8.	A-II	Seijosa	Pakke Kessang	N 26°58'57.35"	E 93° 1'45.98"
9.	A-III	Seijosa	Pakke Kessang	N 26°59'39.70"	E 93° 2'16.65"
10.	Goloso	Seijosa	Pakke Kessang	N 26°59'57.80"	E 93° 2'29.54"
11.	Jolly	Seijosa	Pakke Kessang	N 27° 0'31.15"	E 93° 2'21.76"
12.	Langka	Seijosa	Pakke Kessang	N 27° 0'57.56"	E 93° 2'41.05"
13.	YortePobe	Pakke Kessang	Pakke Kessang	N 27°12'57.01"	E 93° 5'19.39"
14.	Seba	Seppa	Pakke Kessang	N 27°13'41.69"	E 93° 2'23.76"
15.	Kimi	Bhalukpong	West Kameng	N 27°10'34.71"	E 92°42'37.28"
16.	Elephant Flat	Bhalukpong	West Kameng	N 27° 5'29.05"	E 92°35'42.40"
17.	Pinjoli	Bhalukpong	West Kameng	N 27° 4'29.30"	E 92°35'31.55"
18.	Tippi	Bhalukpong	West Kameng	N 27° 1'39.98"	E 92°36'43.33"
19.	Bhalukpong	Bhalukpong	West Kameng	N 27° 0'59.72"	E 92°38'48.83"

ANNEXURE V

PROFORMA OF ACTION TAKEN REPORT

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment Act.
8. Any other matter of importance

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.05.07 20:01:41 +05'30'